भारत संघ और अन्य

बनाम

सूबेदार देव सहायक पी.वी

जनवरी 1, 2006

[अरिजीत पसायत और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971---धारा 2(बी) और 12-सिविल अवमानना--इस आधार पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करना कि न्यायालय के पहले के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया - न्यायालय ने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त निर्देश दिए - की वैधता - माना, वैध नहीं - अवमानना के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता,जिस गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है - यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता है या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता है या किसी भी निर्देश को हटा नहीं सकता है - यह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग होगा - यह अस्वीकार्य और अक्षम्य है।

प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसका कुछ निर्देशों के साथ निपटारा कर दिया गया। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दायर की गई थी. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के स्पष्टीकरण, कि निर्देशों का अनुपालन किया गया है, को उचित मानते हुए कार्यवाही बंद कर दी। न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदमों से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं की कार्रवाई किसी भी तरह से अवमाननापूर्ण या अपमानजनक थी। लेकिन ऐसा मानते हुए, न्यायालय ने कुछ और निर्देश दिए, जो इस वर्तमान अपील में चुनौती का विषय हैं।

इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आगे के निर्देशों की कानून में कोई पवित्रता नहीं है।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए मानाः

I. अवमानना के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय वास्तव में इस सवाल से चिंतित है कि क्या पहले के निर्णय, जिसे अंतिम रूप दिया गया है, का अनुपालन किया गया था या नहीं। किसी न्यायालय के लिए यह अनुमति नहीं होगी कि वह पहले के फैसले की सत्यता की जांच करे, जिस पर सवाल नहीं उठाए गए थे

और पहले के फैसले में जो लिया गया था, उससे अलग दृष्टिकोण अपनाए। [305-एफ-जी]

के.जी.देरासारी बनाम भारत संघ, [200 एलएफ एल0 एससीसी 496, पर भरोसा किया गया।

2. अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से उस पक्ष के अपमानजनक आचरण के सवाल से चिंतित है जिस पर निर्णय या आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप है। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं थी, तो यह संबंधित पक्ष पर निर्भर है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, यदि उसके अनुसार यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस तरह के प्रश्न को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाना आवश्यक है। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मूल कार्यवाही पर निर्णय लेने की शक्ति उस तरीके से नहीं ले सकता है जिस पर निर्णय या आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा नहीं निपटा जाता है। 1305-जी-एच; 306-ए-बीएफ

निया.: मो. वी. हरियाणा राज्य, [I994] 6 एससीसी 332, प्रतिष्ठित। पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य (20041 7 एससीसी 261: टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन, (19951 5 एससीसी 619

और मोहम्मद इकबाल खांडे बनाम अब्दुल माजिद राथर 1199414 एससीसी 34, संदर्भित)। [306- सी-ई]

3. यदि कोई संबंधित पक्ष उस आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत या नियमों के विरुद्ध है या उसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया है या अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना चाहिए। अवमानना कार्यवाही में आदेश के सही या गलत होने का आग्रह नहीं किया जा सकता। सही हो या गलत, आदेश तो मानना ही पड़ेगा। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर पक्ष अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था। यह आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता. यह आदेश की सत्यता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता या किसी निर्देश को हटा नहीं सकता। वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। वही अस्वीकार्य और अक्षम्य होगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या..1066/2000

मध्य प्रदेश के निर्णय एवं आदेश दिनांक 3.12.1997 से अवमानना याचिका संख्या 195/1997 में उच्च न्यायालय।

अपीलकर्ताओं के लिए विकास सिंह, एएसजी सुश्री शिल्पा सिंह, सुश्री अमृता नारायण और श्रीमती अनिल कटियार।

प्रतिवादियों की ओर से अनिल कुमार बख्शी, एम.पी.एस.तोमर, डी.पी.चतुर्वेदी और टी.एस.चौधरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.

इस अपील में चुनौती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना कार्यवाही में पारित आदेश को दी गई है। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका (W.P. No.451111996) दायर की थी जिसे कुछ निर्देशों के साथ निपटाया गया था। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू

करने के लिए याचिका दायर की गई थी. अपीलकर्ताओं द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए जवाब दाखिल किया गया कि निर्देशों का अनुपालन किया गया है और जो कुछ भी कानूनी रूप से किया जाना था वह हो चुका है। वर्तमान अपीलकर्ताओं, जो अवमानना कार्यवाही में प्रतिवादी थे, द्वारा अपनाए गए रुख पर ध्यान देने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं के स्पष्टीकरण को उचित मानते हुए अवमानना कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदमों से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अवमानना कार्यवाही में उत्तरदाताओं, यानी वर्तमान अपीलकर्ता की कार्रवाई, किसी भी तरह से, अवमाननापूर्ण या अपमानजनक थी। इतना कहने के बाद, कुछ और दिशा-निर्देश दिए गए। दिए गए निर्देश इस अपील में चुनौती का विषय हैं। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विकास सिंह के अनुसार, यह मानने के बाद कि इसमें कोई अवमानना शामिल नहीं है, आगे दिए गए निर्देशों की कानून में कोई पवित्रता नहीं है। हालाँकि, आदेश प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा समर्थित है।

अवमानना के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, अदालत वास्तव में इस सवाल से चिंतित है कि क्या पहले के फैसले, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है, का अनुपालन किया गया है या नहीं।

किसी अदालत के लिए पहले के फैसले की सत्यता की जांच करना स्वीकार्य नहीं होगा। जिस पर हमला नहीं किया गया था और पहले के निर्णय में जो लिया गया था, उससे अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए। इसी तरह का दृष्टिकोण के.जी. डेरासारी बनाम भारत संघ, [2001] 10 एससीसी 496 में लिया गया था। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से पार्टी के अपमानजनक आचरण के सवाल से चिंतित है, जिस पर निर्णय या आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप है। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं थी, तो यह संबंधित पक्ष पर निर्भर है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, यदि उसके अनुसार यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस तरह का प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष अवश्य उठाया जाना चाहिए। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली अदालत मूल कार्यवाही पर उस तरीके से निर्णय लेने की शक्ति अपने ऊपर नहीं ले सकती है जिस तरह से निर्णय या आदेश पारित करने वाली अदालत द्वारा नहीं निपटा जाता है। यद्यपि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने नियाज मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य, [1994] 6 एससीसी 332 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया था, लेकिन हमने पाया कि इसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं है। ऐसे में आदेश का पालन करना असंभव होने पर सवाल खड़ा हो गया. यदि अपीलकर्ताओं का यही रुख था, तो

कम से कम यह किया जा सकता था कि उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाया जाए।

उपरोक्त स्थिति पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य में उजागर की गई थी.. [2004) 7 एससीसी 261.

निर्देश को क्रियान्वित करने की असंभवता के प्रश्न पर, टी.आर.धनंजय बनाम जे. वासुदेवन, (1995) 5 एससीसी 619 में व्यक्त विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह माना गया कि जब दावे का परस्पर न्यायनिर्णयन हो चुका था और वह अंतिम रूप प्राप्त कर चुका था, यह प्रतिवादी के लिए खुला नहीं है कि वह आदेश के पीछे जाए और परिणाम पाने के लिए नियमों पर मंडराते हुए उसके प्रभाव को कम करे, अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए कानूनी बहाने को वैध बनाए।

मोहम्मद इकबाल खांडे बनाम अब्दुल माजिद राथर, (1994) 4 एससीसी 34 में, यह माना गया कि यदि कोई पक्ष आदेश से व्यथित है, उसे अपीलीय कार्यवाही शुरू करने के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए और अवमानना कार्यवाही शुरू होने के समय आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते और कार्यान्वयन की कठिनाइयों के बारे में दलील नहीं दे सकते।

यदि कोई संबंधित पक्ष उस आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत या नियमों के विरुद्ध है या उसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस अदालत से संपर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया है या अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना चाहिए। अवमानना कार्यवाही में आदेश के सही या गलत होने का आग्रह नहीं किया जा सकता। सही हो या गलत, आदेश तो मानना ही पड़ेगा। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर पार्टी अवमानना के लिए उत्तरदायी होगी। अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय अदालत उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकती, जिसका अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था। यह आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता। यह आदेश की सत्यता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता या किसी निर्देश को हटा नहीं सकता। वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। वही अस्वीकार्य और अक्षम्य होगा।

हमने देखा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, जो कार्य करने का निर्देश दिया गया था वह वास्तव में किया गया था। प्रतिवादी को पदोन्नति दी गई और इस बीच वह सेवानिवृत्त

हो गया। ऐसा होने पर, कानून में स्थिति स्पष्ट करने के अलावा, दिए गए निर्देश की सत्यता पर जाना आवश्यक नहीं है।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

बी.बी.बी.

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।